

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या: 274/2019
वादीगण

दायर दिनांक 04.12.2019

प्रतिवादीगण

1. पीकी पुत्री स्व० घीसुराम
 2. सरोज पुत्री स्व० घीसुराम
 3. पूजा पुत्री स्व० घीसुराम
 4. टीना पुत्री स्व० घीसुराम
 5. गौरीशंकर पुत्र स्व० घीसुराम
 6. बरजी पत्नी स्व० घीसुराम
- (वादी सं० 1 ता 4 व 6 जरिये
आम मुख्त्यार वादी सं० 5 गौरी
शंकर) समस्त जाति माली
निवासीगण डीडवाना तहसील
डीडवाना जिला नागौर राज०।

बनाम्

1. देवाराम पुत्र पूर्णाराम उर्फ पूर्णमल
2. पुरखाराम उर्फ पुखराज पुत्र पूर्णाराम
उर्फ पूर्णमल
3. कानी पुत्री पूर्णाराम उर्फ पूर्णमल
4. मन्जू पुत्री पूर्णाराम उर्फ पूर्णमल
5. कमला पत्नी पूर्णाराम उर्फ पूर्णमल
6. नवरत्न पुत्र स्व० नेमीचन्द
7. दामोदर पुत्र स्व० नेमीचन्द
8. लक्ष्मीनारायण पुत्र भैरुराम समस्त जाति
माली निवासीगण परमानन्द कॉलोनी,
डीडवाना तहसील डीडवाना जिला
नागौर राज०।
9. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी।
2. श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील प्रतिवादी सं० 1 ता 5 व 7, 8 की ओर से।

-:: अंतिम निर्णय ::-

दिनांक 17.02.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है वाकै सरहद अमरपुरा के भूमि खसरा सं० 155 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं० 166 रकबा 05 बिस्वा, खसरा सं० 167 रकबा 40 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 60 बीघा 10 बिस्वा की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 8 के मध्य बार्डमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 27.12.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 96 दिनांक 06.02.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान् बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 96 दिनांक 06.02.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-



inkas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

—:: आदेश ::—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद अमरपुरा के भूमि खसरा सं० 155 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं० 166 रकबा 05 बिस्वा, खसरा सं० 167 रकबा 40 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 60 बीघा 10 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा सं० 219 रकबा 3.1600 हैक्टे०, खसरा सं० 231 रकबा 6.6000 हैक्टे०, खसरा सं० 230 रकबा 0.04 हैक्टे० में से वादीगण को खसरा सं० 231 में से 0.3688 हैक्टे० व खसरा सं० 219 में से 0.1755 हैक्टे० की भूमि का वगशतकार खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 96 दिनांक 06.02.2025 में वर्णितानुसार भूमि का, वादीगण व खातेदारान् को स्वतन्त्र खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 96 दिनांक 06.02.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Wkes

(विकास मोहन भादी (R.A.S.))
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Wkes

(विकास मोहन भादी (R.A.S.))
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

डिक्री वमुकद्दमें इव्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाव्ता दीवानी)
अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
वइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 274/2019

दायर दिनाँक 04.12.2019

वादीगण

1. पीकी पुत्री स्व० घीसुराम
2. सरोज पुत्री स्व० घीसुराम
3. पूजा पुत्री स्व० घीसुराम
4. टीना पुत्री स्व० घीसुराम
5. गौरीशंकर पुत्र स्व० घीसुराम
6. बरजी पत्नी स्व० घीसुराम
(वादी सं० 1 ता 4 व 6 जरिये
आम मुख्ख्यार वादी सं० 5 गौरी
शंकर) समस्त जाति माली
निवासीगण डीडवाना तहसील
डीडवाना जिला नागौर राज०।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. देवाराम पुत्र पूर्णाराम उर्फ पूर्णमल
2. पुरखाराम उर्फ पुखराज पुत्र पूर्णाराम उर्फ
पूर्णमल
3. कानी पुत्री पूर्णाराम उर्फ पूर्णमल
4. मन्जू पुत्री पूर्णाराम उर्फ पूर्णमल
5. कमला पत्नी पूर्णाराम उर्फ पूर्णमल
6. नवरत्न पुत्र स्व० नेमीचन्द
7. दामोदर पुत्र स्व० नेमीचन्द
8. लक्ष्मीनारायण पुत्र भैरूराम समस्त जाति माली
निवासीगण परमानन्द कॉलोनी, डीडवाना
तहसील डीडवाना जिला नागौर राज०।
9. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 17.02.2025

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी, श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील प्रतिवादी सं० 1 ता 5 व 7, 8 की ओर से से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद अमरपुरा के भूमि खसरा सं० 155 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं० 166 रकबा 05 बिस्वा, खसरा सं० 167 रकबा 40 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 60 बीघा 10 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा सं० 219 रकबा 3.1600 हैक्टे०, खसरा सं० 231 रकबा 6.6000 हैक्टे०, खसरा सं० 230 रकबा 0.04 हैक्टे० में से वादीगण को खसरा सं० 231 में से 0.3688 हैक्टे० व खसरा सं० 219 में से 0.1755 हैक्टे० की भूमि का काश्तकार खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 96 दिनाँक 06.02.2025 में वर्णितानुसार भूमि का, वादीगण व खातेदारन् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 96 दिनाँक 06.02.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Wkas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

| | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|--------|------|--|-------|------|
| स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक | — — | | स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |
| | | | | | |

टिप:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो य दर्ज करना चाहिये।

Wkes
उपखण्ड अधिकारी
डीडीवाचाना